भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5385

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

टियर-2 और टियर-3 शहरों में मेट्रो रेल का विस्तार

5385. श्री आलोक शर्माः

श्री भर्तृहरि महताबः

श्री पी. पी. चौधरीः

श्री माधवनेनी रघुनंदन रावः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) टियर-2 और टियर-3 शहरों में मेट्रो रेल के विस्तार संबंधी परियोजनाओं में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का मेट्रो प्रणालियों को वित्तीय रूप से अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए कोई नई नीति लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शहरी आवागमन में सुधार करने के लिए मेट्रो नेटवर्क को मल्टी-मॉडल परिवहन प्रणालियों के साथ एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति क्या है और भोपाल में मेट्रो रेल सेवा कब तक शुरू होने की संभावना है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): 'शहरी नियोजन' राज्य का विषय है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारें सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच एकीकरण सहित शहरी परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर की आयोजना, पहल करने और इन्हें विकसित करने के लिए जिम्मेदार हैं। मेट्रो रेल नीति, 2017 के अनुसार, जब कभी संबंधित राज्य सरकार द्वारा मेट्रो रेल के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं तब केंद्र सरकार प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शहरों या शहरी समूहों में मेट्रो रेल प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता पर विचार करती है। मेट्रो रेल नीति, 2017 के अनुसार दो मिलियन और उससे अधिक आबादी वाले शहर व्यापक मोबिलिटी योजना के आधार पर मेट्रो रेल सहित जन परिवहन प्रणालियों की योजना बना सकते हैं।

(ख) मेट्रो रेल नीति 2017, मेट्रो परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी), गैर किराया बॉक्स और वैल्यू कैप्चर फाइनेंस (वीसीएफ) के विभिन्न साधनों के माध्यम से वित्तपोषण के नए तौर-तरीकों को भी संभव बनाती है।

(ग) केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006, मेट्रो रेल नीति, 2017 और पारगमन उन्मुख विकास नीति, 2017 तैयार की हैं, जो शहरी परिवहन प्रणालियों की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के लिए सर्वाधिक सतत और व्यवहार्य ढंग से मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं। नीति में सहभागी राज्य सरकारों द्वारा फीडर सिस्टम, पैदल यात्री मार्गों के माध्यम से अंतिम गंतव्य तक कनेक्टिविटी, गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) इन्फ्रास्ट्रक्चर और पैरा ट्रांजिट मोड आदि की सुविधाओं को भी आवश्यक रूप से शामिल किए जाने की परिकल्पना की गई है।

(घ) भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के सुभाष नगर से एम्स तक 7.2 किमी लंबाई के प्राथमिक खंड की वास्तविक प्रगति 81.26% है और यह खंड पूर्ण होने के करीब है।

*****